



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-18.06.2022

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-72/2017, धारा-8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 हैदर पुत्र सैय्यद हसन निवासी गेर गुलर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को थाना-आदमपुर पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायालय पाक्सो वाराणसी द्वारा दिनांक- 18.06.2022 को अभियुक्त मो0 हैदर को धारा-8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय

जोन-काशी

कमिश्नरेट-वाराणसी ।